

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

09 DEC 2012

कोषागार पदाधिकारी
भागलपुर

11001
18.12.12

मेसर्स डी. एम. कन्सट्रक्सन्स द्वारा निर्देशक श्री
दिलीप कुमार साह (श्याम पी. द्विवेदी रोड कागलपुर)
5000/- = 5000

211910

सुधीर कुमार
मुद्रांक विक्रेता
अनुज्ञापित सं-08/2003
कचहरी, भागलपुर

Compared
by

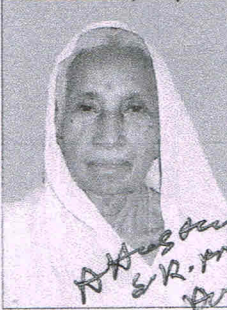
1. नाम लेख्यकारीगण :- श्रीमति राम प्यारी देवी पति स्व० महादेव सिंह जाति भूमिहार, पेशा - गृहस्थी वगैरह, साकिन महल्ला- नयाबाजार, थाना - तातारपुर(कोतवाली) अन्दर शहर निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर

- लेख्यकारी प्रथम पक्ष

एवं

(1) मेसर्स डी० एम० कन्सट्रक्सन्स कार्यालय एम० पी० द्विवेदी रोड भागलपुर द्वारा निर्देशक श्री दिलीप कुमार साह पिता स्व० श्याम सुन्दर साह(हिन्दु), जाति अग्रवाल पेशा व्यवसाय वो समाज सेवा, राजनीति वगैरह

राम प्यारी देवी



22/12/12

Shiksha Sah
22/12/12

वगैरह, साकिन महल्ला खलीफाबाग, शेखावत हुसैन लेन, गुरुद्वारा रोड,
थाना कोतवाली, अन्दर शहर अवर निबन्धन कार्यालय वो जिला भागलपुर
- लेख्यकारी द्वितीय पक्ष

रामचारी देवी
22-12-12

1. नाम लेख्यकारी :- वहक एक दूसरे के ।

3. लेख्य प्रकार :- भूखण्ड विकाश डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट ।

4. मूल्य :- भूमि का वर्तमान मूल्य कुल मोवलग 1,73,11,000/- एक
करोड़ तेहत्तर लाख ग्यारह हजार रुपैया होता है जिसपर दो प्रतिशत
मुद्रांक शुल्क अलावे निबन्धन शुल्क वो अन्य शुल्क दिया जाता है ।
अराजी प्रथम श्रेणी के आवासीय कोटी में मुल्यांकित है ।

5. सम्पत्ति विवरण :- अराजी मवाजी 1005 हैक्टर बराबर 10813.8 वर्ग
फीट भूमि जो डिसमल के अनुसार 24.8717 डीसमल होता है, मय कुल
हक हकुक दखली वो मकबुजगी मय हवा वो रौशनी, पानी निकासी
रोजाना वो बरसाती, मय आमद रफ्त इत्यादि वाके महल्ला- खलीफाबाग
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद रोड, थाना - कोतवाली, अन्दर शहर निबन्धन कार्यालय
वो जिला - भागलपुर, अंचल कार्यालय जगदीशपुर अन्दर व जमीन्दारी
बिहार सरकार, जिसका नगर निगम होल्डिंग नं० 160 है अन्दर नगर
निगम वर्तमान वार्ड नं० 20 है तथा सर्वे वार्ड नं० 7, हाल नगर पालिका
सर्वे खाता नं० 447, खेसरानं० 685 क, ख अन्दर नगर निगम भागलपुर के
स्थित है जिसकी चौहददी इस प्रकार है ।

सिंह वर-सुह
22/12/2012

उत्तर :- कैसर अहमद
दक्षिण :- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद रोड ।
पुरव :- कैसर अहमद ।
पश्चिम :- कॉमन रास्ता वगैरह ।

संदर्भ

यह कि तालिका जायदाद खाना नं० 5 वाली सम्पत्ति लेख्यकारी
प्रथम पक्ष के स्व० पति महादेव सिंह की नीजी खरीदगी सम्पत्ति है जिसे
लेख्यकारी प्रथम पक्ष के स्वर्गीय पति बाबू महादेव सिंह ने अपने जीवन
काल में वजरीये निबन्धित केवाला द्वारा बीबी असमत आरा से खरीदकर
हासिल किया था जिसका दस्तावेज संख्या 11858 सन् 1974 ई० है तथा
जो निबन्धन कार्यालय भागलपुर में निबन्धित है । बाद खरीदगी उपरोक्त
जायदाद के लेख्यकारी प्रथम पक्ष के स्व० पति बाबू महादेव सिंह
उपरोक्त सम्पत्ति पर शांतिपूर्ण निर्विवाद रूप से दखलकार चले आ रहे

जायदाद
संकेत 2442 निमा नं०
2442 निमा 114 निमा नं०
जायदाद के वर-सुह
22/12/2012



थे तथा बअदाय टैक्स वो लगान के अपने नाम से का रसीद हासिल करते चले आ रहे थे।

यह कि अरसादारान कुछ साल पहले लेख्यकारी प्रथम पक्ष के पति बाबू महादेव सिंह का स्वर्गवास हो गया वो अपने पीछे अपनी एकमात्र पत्नी रामप्यारी देवी लेख्यकारी प्रथम पक्ष दस्तावेज हाजा को बतौर वैध उत्तराधिकारी छोड़कर मृत्यु को प्राप्त किये। उनके मरनोपरान्त लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने बतौर वैध उत्तराधिकारी के अपना नाम नगर निगम पंजी में वो भी अंचल सिरिस्ता में दर्ज कराकर व अदाय टैक्स मोवलग के अपने नाम का रसीद हासिल करती चली आती है तथा तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाली सम्पत्ति पर शांतिपूर्ण ढंग से एवं निर्विवाद रूप से काविज दखलकार चली आती है।

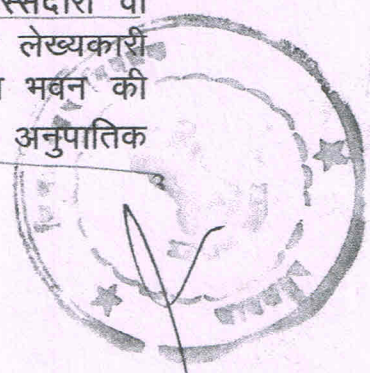
यह कि इस प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष को तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाला सम्पत्ति पर पूर्ण हकीयत स्वरूप वो अधिकार वो भी खास दखल कब्जा हासिल है, तथा तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाला को किसी भी रूप में हस्तान्तरित वो भी भूखण्ड विकास डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट आदि करने का पूरा पूरा सोलह आना हक वो अधिकार हासिल है।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष उपरोक्त तालिका जायदाद खाना नं0 5 वाला सम्पत्ति पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करना चाहती हैं। लेकिन जानकारी वो पूँजी के अभाव में बहुमंजिला भवन का निर्माण करना लेख्यकारी प्रथम पक्ष के लिए संभव नहीं है। इसलिए लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने स्थानीय डेवलेपरों/बिल्डरों से सम्पर्क किया।

यह कि आखिरकार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष ने लेख्यकारी प्रथम पक्ष से अपने पूँजी व खर्च से बतौर डेमलपर/विल्डर के उक्त जयदाद को डेमलप करने की इच्छा जाहिर की, जिसे लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने भी स्वीकार व मंजूर किया। और दोनों पक्षों के बीच यह तय पाया की लेख्यकारी द्वितीय पक्ष (डेमलपर) उपरोक्त खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद पर अपनी पूँजी व खर्च से बहुमंजिला भवन का निर्माण करेंगे इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच यह भी तय पाया कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उक्त निर्माण में होने वाली पूँजी व खर्च के प्रतिफल स्वरूप बहुमंजिला भवन की संरचना में 50% (पचास प्रतिशत) हिस्सेदारी वो भूमि में अनुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे, और इसी प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष भी अपनी जमीन के प्रतिफल स्वरूप बहुमंजिला भवन की संरचना में 50% (पचास प्रतिशत) हिस्सेदारी व भूमि में अनुपातिक

रामप्यारी देवी
22-08-12

22/12/2012



हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे। साथ ही दोनों पक्षों के बीच बहुमंजिला भवन निर्माण किये जाने के संबंध में हिस्सेदारी के साथ अन्य बातें व शर्तों आपस में तय व पक्की हुई। लेहाजा जरूरत जहरीर वो तामिल करने इस भूखण्ड विकास डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट दस्तावेज हाजा की हुई।

यह कि पक्षकार दस्तवेज हाजा ने अपनी अपनी स्वस्थ मानसिक स्थिति व स्वेच्छा से अपना अपना लाभ एवं हानी अच्छी तरह समझ बुझकर बिना किसी दबाव के निम्नलिखित शर्तों पर यह डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट वहक एक दूसरे के लिख दिया, जाकि समय पर काम आवे।

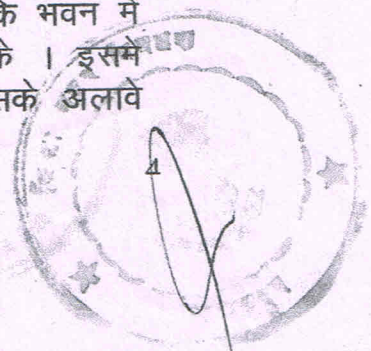
शर्त

1. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष खाना नं० 5 में वर्णित भूमि के जमीन मालकीन के रूप में जाने जायेंगे तथा लेख्यकारी द्वितीय पक्ष बतौर डेभलपर/बिल्डर के उक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण का कार्य करेंगे। इसलिए बतौर डेभलपर/ बिल्डर के नाम से जाने जायेंगे।
2. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने खाना नं० 5 में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को आज की तिथि से बतौर विल्डर/डेभलपर अधिकृत कर दखल कब्जा दे दिया।
3. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष अपने नाम से या लेख्यकारी प्रथम पक्ष के नाम से जैसा संभव हो, उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट व अभियंता से नक्सा बनवा कर उसे संबंधित विभाग/अधिकारी से पास करवाकर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे।
4. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष आज तारीख से उक्त भूखण्ड पर लेख्यकारी द्वितीय पक्ष या उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी, मजदूर या संबंधित व्यक्ति जिनका भवन निर्माण कार्य में होना आवश्यक है, को जाने तथा भूखण्ड की नापी करने, जगह को खोदने, चारदीवारी करने एवं भवन निर्माण सामग्री रखने गोदाम एवं मजदूर आवास आदि हेतु व्यवस्था में कोई व्यवधान या रुकावट नहीं करेंगी बल्कि इसमें सहयोग देंगी।
5. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष जब भी जहां भी अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति पत्र देने के लिए लेख्यकारी प्रथम पक्ष से अनुरोध करेंगे, उसे अविलम्ब देगी तथा कार्यालयों में वैधानिक रूप से आवश्यकता होने पर, अविलम्ब संबंधित प्रमाण पत्र दाखिल करेंगी व उपस्थित होंगे इसमें कोई विलम्ब नहीं करेंगी।
6. यह कि निर्माण कार्यकाल के दौरान लेख्यकारी प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री उदय नारायण सिंह परिवेक्षण करेंगे ताकि भवन में लगने वाले मैटेरियल गुणवत्तापूर्ण वो नियमानुकूल लग सके। इसमें लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। इसके अलावे

Divy Dr. Sush

22/12/12

रामचारी 9वी
22-12-12



लेख्यकारी प्रथम पक्ष को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किसी प्रकार का सरोकार, बहुमंजिला भवन के निर्माण कार्य में लगने वाली पूँजी व खर्च से नहीं होगा। इस संरचना एवं निर्माण आधुनिक फिटिंग्स व मार्बल/विट्रीफाईड टाली फ्लैरींग तथा दिवारों में प्लास्टर व पी0 ओ0 पी0 आदि कार्य पूरा कर देंगे, और इसमें लगने वाली कुल लागत व खर्च व पूँजी की व्यवस्था स्वयं व अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। निर्माण कार्य में होने वाले कुल खर्च की जिम्मेदारी व जबावदेही लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की है व रहेंगी। लेख्यकारी प्रथम पक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं है और ना होगा।

7. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष (बिल्डर/डेभलपर) की उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण में लगने वाली पुंजी, खर्च व लागत के एवज (प्रतिफल स्वरूप) में भवन की कुल संरचना में 50% पचास प्रतिशत हिस्सेदारी में अनुपातिक अविभाजित अंश उक्त भूमि पर वहैसियत सोलह आना मालिक की होगी व मानी जायेगी तथा लेख्यकारी प्रथम पक्ष (भूखंड के जमीन मालकीन) की हिस्सेदारी भवन की उक्त संरचना में 50% पचास प्रतिशत हिस्सेदारी प्रत्येक मंजिल पर या आपसी सहमति के अनुसार में अनुपातिक अविभाजित अंश उक्त भूमि पर वहैसियत सोलह आना मालकीन की होगी व मानी जायेगी।

8. यह कि दोनों पक्ष, उक्त संरचना में अपनी अपनी हिस्सेदारी का विभाजन आपसी सहमति से बहुमंजिला भवन के निर्मित किये जाने वाले नक्से के आधार पर कर लेंगे।

9. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को इस भूखण्ड विकास डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट दस्तावेज हाजा के आधार पर अपना 50% पचास प्रतिशत निर्मित क्षेत्र प्लैट वगैरह आदि को मय अनुपातिक जमीन वगैरह के साथ पार्ट पार्ट कर बिक्री कर केवाला आदि करने व कोई कीमत तय करने व एकरारनामा करने व अग्रिम या अन्य राशि इस मद में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है व होगा। उसी प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष को भी अपना 50% पचास प्रतिशत निर्मित क्षेत्र प्लैट वगैरह आदि को मय अनुपातिक जमीन के साथ पार्ट पार्ट कर बिक्री करने व कोई कीमत तय करने व एकरारनामा करने व अग्रिम या अन्य राशि इस मद में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है व होगा।

10. यह कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए विद्युत कनेक्शन लेने की आवश्यकता लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की होगी तो वे स्वयं अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार विद्युत विभाग में आवेदन देंगे तथा विद्युत कनेक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। निर्माण काल में जितना विद्युत विपत्र होगा उसका भुगतान का दायित्व लेख्यकारी द्वितीय पक्ष का है व माना जायेगा। इसी प्रकार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष आवश्यकता पड़ने पर दूरभाष कनेक्शन भी

रामचारी देवी
22-92-92

22/12/2012



उक्त भूखंड के पते पर लेने के हकदार हैं। जिसके विपत्र के भुगतान का दायित्व भी उन्ही का होगा।

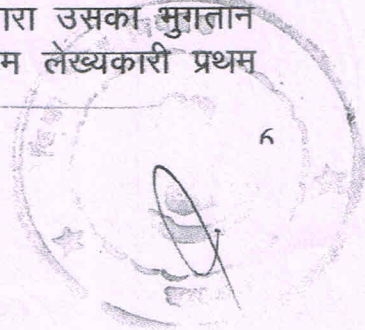
11. यह कि प्रत्येक पक्ष को यह पूर्ण अधिकार है कि प्रस्तावित बहुमंजिला भवन की संरचना में जितना फ्लैट वगैरह का भाग उनकी उपरोक्त हिस्सेदारी में आता है उसे अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ज्यादा मूल्य लेकर इच्छुक क्रेताओं के हाथ बेचे और इसके लिए निर्माण के पूर्व या निर्माण कार्य के अन्तर्गत या निर्माण सम्पूर्ण होने के उपरांत इच्छुक क्रेताओं के साथ अलग अलग एकरारनामा व विक्रय पत्र दस्तावेज तामिल अपने अपने हस्ताक्षर से करें वो दस्तावेज का निष्पादन करें साथ ही अपनी इच्छानुसार विक्रय राशि का निर्धारण करेंगे तथा अग्रिम राशि वसूल करें इसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति करने का हक या अधिकार नहीं है व न होगा। इच्छुक क्रेता किसी वित्तीय संस्था से कर्ज लेकर किसी भी पक्ष के हिस्से संरचना का कोई फ्लैट वगैरह क्रय करने का इच्छुक हो तो उसके लिए केवल संबंधित पक्ष द्वारा संबंधित क्रेता के हक में किये गये विलेख को ही सर्वसम्मति से कानूनन मान्य व सही माना जायेगा।

12. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष द्वारा खाना नं० 5 में वर्णित उक्त भूखंड पर बहुमंजिला भवन निर्माण किये जाने के दौरान आज की तिथि के बाद कोई भी घटना दुर्घटना उक्त भूमि या उस पर किये जाने वाले कार्यों से संबंधित के लिए लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी व मानी जायेगी। लेख्यकारी प्रथम पक्ष को इसके लिए किसी भी तरह का उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

13. यह कि उपरोक्त भूखंड सभी प्रकार के विवादों से परे हैं। शहरी हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत भी भूमि का अर्जन नहीं हुआ है तथा हदबंदी विभाग के दायरे में नहीं है और ना कसी व्यक्ति का दावा भूमि पर है और ना कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित है। इसतरह उपरोक्त तालिका खाना नं० 5 वाली भूमि सभी प्रकार के कर्ज व अवभार एवं दायित्वों से मुक्त है। यदि भविष्य में कोई स्वत्व या विवाद कर्ज या दावा का विवाद या अर्जन संबंधित विवाद खड़ा हो जाये तो उसकी पूरी जबाबदेही लेख्यकारी प्रथम पक्ष की है और होगी। यदि निर्माण कार्यों के कारण आस पास के भूखंडों के मालिक या मालिकों द्वारा लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की गलती या असावधानी से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो तो उसे निपटारा करने के लिए लेख्यकारी द्वितीय पक्ष ही एक मात्र उत्तरदायी होंगे। बावजूद इसके अगर निर्माण कार्यकाल के दौरान यदि किसी न्यायिक आदेश के कारण लेख्यकारी प्रथम पक्ष को कोई दायित्व या अवभार के भुगतान की बात भविष्य में आवे तो वैसी परिस्थिति में लेख्यकारी द्वितीय पक्ष द्वारा उसका भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त भुगतान की जानेवाली रकम लेख्यकारी प्रथम

लेख्यकारी द्वितीय
22-12-12

Signature
22/12/2012



पक्ष को हिस्से में मिलने वाले फलैटों अंशों से बाजार मूल्य के अनुसार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष समायोजित कर लेंगे। इसमें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को कोई ऐतराज नहीं होगा।

14. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष एवं लेख्यकारी द्वितीय पक्ष के बीच यह भी तय पाया गया कि उपरोक्त भवन निर्माण कार्य की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है एवं छः महीने का ग्रेस पीरीयड आकस्मिक कार्य के कारण विलंब यानि कुल साढ़े तीन वर्ष की अवधि निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित है। जिसकी गणना दस्तावेज निष्पादन की तिथि से मानी जायेगी।

15. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष अपनी हिस्सेदारी के फलैटों वगैरह का बिक्रय विलेख का निष्पादन स्वयं करने के लिए सक्षम माने जायेंगे और इसी प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष भी अपनी हिस्सेदारी के फलैटों वगैरह का बिक्रय विलेख का निष्पादन स्वयं करने के लिए सक्षम मानी जायेंगी। इस के लिए लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने इस दस्तावेज के द्वारा प्रत्येक पक्ष को पूर्ण रूप से अधिकृत कर दिया है। ताकि उपरोक्त कार्यों को विधिवत पुरा करने में किसी भी पक्ष को कोई परेशानी व कठिनाई न होने पावे।

16. यह कि अगर आपस में किसी विन्दु पर पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा दोनों पक्ष आपसी सहमति से या पंच नियुक्त कर पंच द्वारा आरबीटेशन एक्ट के तहत कर लेंगे जो दोनों पक्षों के हित के लिए मान्य होगा।

17. यह कि उपरोक्त उक्तियाँ एवं शर्तों की स्वीकृत के प्रमाण में सभी पक्षों ने इस दस्तावेज पर अपना अपना हस्ताक्षर साक्षियों के समक्ष कर दिया जाकि प्रमाण रहे।

आज तारीख २२ माह १२ सन् २०१२ ई०

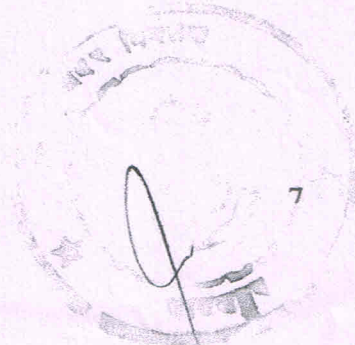
गवाहान का हस्ताक्षर

मुद्रांक
०६२०० सुरेंद्र प्रसाद
गवाहान चौरा
आगरा
२२.१२.१२

प्रारूपक

अभिषेक
२२/१२/२०१२
०१००२२५९/१२

टंकक राजेश कुमार
२२.१२.१२



लेख्यकारी
२२-१२-१२

२२/१२/२०१२

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 346220/-**
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

Amt. Paid By N.J Stamp Paper **Rs. 5000/-**
Amt. paid through Bank Challan **Rs. 342524/-**

Registration Fee

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	200	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	45
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
TOTAL-									495

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc. Fee	0
Total	0

Service Charge

325

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **820**

Date: 07/01/2013

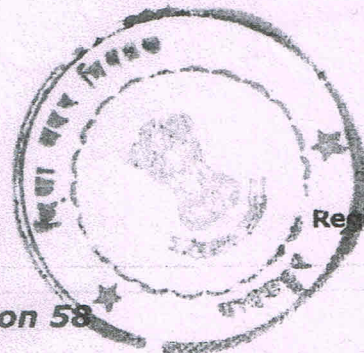
Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Monday, 07th January 2013 by Dilip Kumar Sah Shyam Sundar Sah by profession Agriculture. Status - Claimant

Signature/L.T.I. of Presentant *7/1/13*

Date: 07/01/2013



Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sudhakar Pd. Singh' age '51' Sex 'M', 'Surendra Singh', resident of 'Naya Bazar Gola Ghat Lane Bhagalpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 07/01/2013

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 1 Volume No. 4 on pages on 37 -48 , for the year 2012 and stored in CD volume No. CD-1 year 2012 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 07/01/2013

Registering Officer
Bhagalpur

Token No. : 19969

Year : 2012

S.No. : 225

SCORE Ver.3.0

Deed No. : 223

Scanned By
Sd/-
Computer Operator